रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216102
CG-DL-E-12022020-216102

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020//माघ 23, 1941
No. 606] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

**का.आ. 665(अ).**—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि व्यक्तियों की कतिपय श्रेणियों को लोक हित में, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछेक उपबंधों के प्रचालन से छूट देना आवश्यक एवं समीचीन है ;

अत:, केंद्रीय सरकार आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1988(अ) तारीख 4 अगस्त, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों को, इसके स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रकार की श्रेणी के शस्त्रों के बारे में, जब इन्हें व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण अथवा प्रतियोगिताओं में प्रयोग के प्रयोजन से निजी उपयोग हेतु ले जाया जाए अथवा कब्जे में रखा जाए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) एवं धारा-9 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (क)(i) के उपबंधों के प्रचालनों से छूट प्रदान करती है तथा यह छूट उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी :

**2. परिभाषाएं :-**

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप" से एशियाई खेल, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, एशियाई महिला अथवा एशियाई कनिष्ठ निशानेबाजी चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप, ओलम्पिक खेल, विश्व कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ निशानेबाजी चैंपियनशिप तथा वरिष्ठ के साथ-साथ कनिष्ठ प्रतियोगिताओं के विश्वकप अभिप्रेत हैं;

(ख) "अंतरराष्ट्रीय पदकधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में व्यक्तिगत अथवा टीम पदक जीता हो;

(ग) "मशहूर निशानेबाज" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग संघ के नियमों के अनुसार संचालित किसी भी ओपन पुरुषों की प्रतियोगिता अथवा ओपन महिलाओं की प्रतियोगिता अथवा ओपन सिविलियनों की प्रतियोगिता की राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में चाहे अर्हक खेल प्रतियोगिता के माध्यम से अथवा वाईल्ड कार्ड प्रविष्टि के द्वारा भाग लिया हो और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक हासिल किए हों;

(घ) "कनिष्ठ निशानेबाज" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन वह 21 वर्ष से कम आयु का हो तथा उसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन एवं/अथवा संबंधित राज्य राइफल्स एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त कम से कम एक राज्य चैंपियनशिप (वर्ष में एक बार आयोजित) अथवा जोनल चैंपियनशिप अथवा राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो;

(ड.) "महत्वाकांक्षी निशानेबाज" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन एवं/अथवा संबंधित राज्य राइफल एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त कम से कम एक राज्य चैंपियनशिप (वर्ष में एक बार आयोजित), जोनल चैंपियनशिप अथवा राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो और भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हों।

**3. सत्यापन निकाय :--**

(क) अनुसूची के क्रम सं. (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सत्यापन निकाय खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय में भारत सरकार होगी । प्रमाणपत्र में यह उल्लिखिति हो कि यह पुरस्कार निशानेबाजी में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया गया है।

(ख) अनुसूची के क्रम सं. (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सत्यापन अंतर्राष्ट्रीय निकाय भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) होगी । प्रमाणपत्र में यह उल्लिखित होगा कि पदकधारी द्वारा यह पदक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जीता गया है तथा विख्यात निशानेबाज होने की स्थिति होने पर जारी किए गए गुणवत्ता प्रमाणपत्र (मेरिट सर्टिफिकेट) में स्पर्धा के लिए एनआरएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक स्कोर सहित अर्हक स्कोर का उल्लेख किया जाए।

(ग) अनुसूची के क्रम सं. 3 तथा 4 पर विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सत्यापन निकाय भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ अथवा एनआरएआई का अनुमोदित अथवा मानद राज्य राइफल संघ होगा । जारी किए गए प्रमाणपत्र पर स्पर्धा के लिए एनआरएआई या राज्य राइफल संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक स्कोर सहित अर्हक स्कोर का उल्लेख किया जाए।

(घ) अनुसूची के क्रम सं. 5 पर उल्लिखित संस्थाओं के लिए सत्यापन निकाय निम्न के अनुसार होगी:--

| संस्था | सत्यापन निकाय |
|---|---|
| शूटिंग क्लब/राज्य राइफल संघ या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के साथ जुड़ा जिला राइफल संघ | राज्य राइफल संघ या भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ |
| राज्य राइफल संघ | राष्ट्रीय राइफल संघ |
| राष्ट्रीय राइफल संघ | युवा एवं खेल मंत्रालय |
| शूटिंग रेंज | भारतीय खेल प्राधिकरण/राज्य सरकार का खेल प्राधिकरण/भारतीय राइफल संघ |

**4. छूट देने की अन्य स्थितियां :--**

इस अधिसूचना के अधीन दी गई छूट निम्नलिखित और शर्तों के अधीन भी होंगी :-

(क) अधिसूचना के अधीन छूट का दावा करने वाला कनिष्ठ निशानेबाज बारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है।

(ख) अनुसूची के क्रम सं. 1 से 4 पर उल्लिखित व्यक्तियों को जारी अनुज्ञप्ति का वैधता क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा तथा अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकरण इसे केंद्रीय या राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए बिना प्रदान करने हेतु प्राधिकृत होगा।

(ग) अनुसूची के क्रम सं. 1 तथा 2 के छूट धारकों के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाते समय पुर्जे तथा कन्वर्जन बैरल युक्त शस्त्रों को एक शस्त्र के तौर पर ही माना जाएगा और उक्त शस्त्र तथा ऐसे पुर्जे या कन्वर्जन बैरल का पूर्ण विवरण क्रमश: शस्त्र अनुज्ञप्ति पर दर्शाया जाएगा।

**5. पात्र छूट धारकों के ब्यौरे का प्रकाशन :--**

सभी पात्र छूट धारकों से संबंधित डाटाबेस युवा एवं खेल मंत्रालय और/अथवा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि किसी लाइसेंस प्रदाता प्राधिकरण द्वारा क्रॉस सत्यापन किया जा सके।

**अनुसूची**

**शस्त्र कब्जे में रखने से संबंधित रियायतें**

| क्र. सं. | व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग | शस्त्रों के वर्ग/विवरण | शर्तें |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | अर्जन पुरस्कार विजेता | शस्त्रों की कुल संख्या कब्जे में रखने पर सामान्य रियायत, बशर्ते निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया हो। | व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के पैरा 3 में उल्लिखित उपयुक्त सत्यापन निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना चाहिए। |
| 2. | अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता/विख्यात निशानेबाज | (i) कैलिबर .22 लॉग राइफल में राइफलें (जिन्हें .22 एलआर भी कहा जाता है) ।<br>(ii) सेंटर फायर राइफल, 8 मिमि तक कैलिबर के साथ, जिसमें 8 मिमि से कम सभी कैलिबर शामिल हैं।<br>(iii) पिस्टल/रिवॉल्वर, जिसमें 9 एमएम तथा 9 एमएम तक के कैलिबर शामिल है, परंतु 9 एमएम पैराबेलम शामिल नहीं है (9x19 एमएम)।<br>(iv) 12 बोर/गेज तक कैलिबर के शॉटगन, जिसमें 12 बोर/गेज से कम के सभी कैलिबर शामिल हैं। | (i) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सामान्य नागरिक द्वारा, जो शस्त्र वह कब्जे में रखने के हकदार है, उसके अतिरिक्त बारह से अधिक शस्त्र रखने की रियायत नहीं होगी तथा यह कुल चौदह शस्त्रों की सीमा के शर्ताधीन होगी।<br>(ii) व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के पैरा 3 में उल्लिखित उपयुक्त सत्यापन निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना चाहिए।<br>**टिप्पणी :**<br>(क) यदि कोई निशानेबाज केवल एक ही प्रतिस्पर्धा में विख्यात है तो वह अधिकतम कुल दस शस्त्र कब्जे में रख सकता है [अर्थात् आठ रियायत वर्ग में तथा दो शस्त्र, जो वह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अंतर्गत एक सामान्य नागरिक के बतौर कब्जे में रख सकता है]।<br>(ख) यदि कोई निशानेबाज दो प्रतिस्पर्धा में विख्यात है, तो शस्त्रों की अधिकतम संख्या, जो वह कब्जे में रख सकता है वह बारह होगी [दस रियायत वर्ग में तथा दो हथियार, जो वह शस्त्र अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन एक सामान्य नागरिक के बतौर कब्जे में रख सकता है]।<br>(ग) यदि कोई निशानेबाज दो से अधिक प्रतिस्पर्धा में विख्यात है, तो शस्त्रों की अधिकतम संख्या, जो वह कब्जे में रख सकता है वह चौदह होगी [बारह रियायत वर्ग में तथा दो हथियार, जो वह शस्त्र अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन एक सामान्य नागरिक के बतौर कब्जे में रख सकता है]। |
| 3. | कनिष्ठ लक्ष्य निशानेबाज | इस प्रतिस्पर्धा में उपयोग किए गए शस्त्र, जिसमें व्यक्ति एक कनिष्ठ लक्ष्य निशानेबाज है। | (i) रियायत किसी भी वर्ग के दो शस्त्र तक सीमित है, जिसमें व्यक्ति कनिष्ठ लक्ष्य निशानेबाज है ।<br>(ii) व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के पैरा 3 में उल्लिखित उपयुक्त सत्यापन निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना चाहिए। |
| 4. | महत्वाकांक्षी निशानेबाज | इस प्रतिस्पर्धा में उपयोग किए गए शस्त्र, जिसमें व्यक्ति एक महत्वाकांक्षी निशानेबाज है। | (i) रियायत किसी भी वर्ग के दो शस्त्र तक सीमित है, जिसमें व्यक्ति महत्वाकांक्षी निशानेबाज है।<br>(ii) व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के पैरा 3 में उल्लिखित उपयुक्त सत्यापन निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना चाहिए। |
| 5. | भारत का राष्ट्रीय राइफल संघ / एनआरएआई से संबद्ध राज्य राइफल संघ / | (i) कैलिबर .22 लॉग राइफल में राइफलें (जिन्हें .22 एलआर भी कहा जाता है)।<br>(ii) सेंटर फायर राइफल, 8 मिमि तक | (i) शस्त्रों को अधिकतम संख्या पर कोई उच्च सीमा नहीं हैं, जो सत्यापन निकाय की सिफारिशों पर आधारित लाइसेंसिंग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | जिला राइफल संघ, जो राज्य राइफल संघ के साथ संबद्ध है / सभी निशानेबाजी क्लब, जो राज्य राइफल संघ अथवा एनआरएआई के साथ संबद्ध हैं / भारतीय खेल प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार के खेल प्राधिकरण के अंतर्गत सभी निशानेबाजी क्षेत्र। | कैलिबर के साथ, जिसमें 8 मिमि से कम सभी कैलिबर शामिल हैं।<br>(iii) पिस्टल/रिवॉल्वर, जिसमें 9 एमएम तथा 9 एमएम तक के कैलिबर शामिल है, परंतु 9 एमएम पैराबेलम शामिल नहीं है (9x19 एमएम)।<br>(iv) 12 बोर/गेज तक कैलिबर के शॉटगन, जिसमें 12 बोर/गेज से कम के सभी कैलिबर शामिल हैं। | प्राधिकरण के विवेक पर आधारित है।<br>(ii) निकाय के पास इस अधिसूचना उपयुक्त सत्यापन निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना चाहिए। |

[फा. सं. वी-11026/133/2019-आर्म्स]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2020

**S.O. 665(E).—**Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to exempt certain classes of persons from the operation of some of the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide number S.O. 1988(E), dated the 4th August, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby exempts the classes of the persons specified in column (2) of the Schedule hereto annexed, in respect of the arms of the category of description specified in the corresponding entry in column (3) thereof, when carried or possessed for their own personal use for the purpose of training or use in competitions, from the operations of the provisions of sub-section (2) of section 3 and clause (a) (i) of sub-section (1) of section 9 of the said Act and subject to such conditions as are specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule, namely:—

2. **Definitions**. –

For the purposes of this notification –

(a) "**International Championship**" means the Asian Games, the Asian Shooting Championship, the Asian Women or Asian Junior Shooting Championship, the Commonwealth Games, the Commonwealth Shooting Championships, the Olympic Games, the World Junior or Senior Shooting Championships and the World Cups in Senior as well Junior events;

(b) "**International Medalist**" means a person who has won an individual or team medal in an International Championship;

(c) "**Renowned Shooter**" means a person who has participated in a National Shooting Championship in an Open Men's Event or Open Women's Event or Open Civilian's Event whether through Qualifying Tournament or Wild Card Entry conducted in accordance with the rules of International Shooting Union and has attained the Minimum Qualifying Score specified by the National Rifle Association;

(d) "**Junior Target Shooter**" means a person who has completed the age of twelve years but is below the age of twenty one years and has taken part in at least one State Championship (held

once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National Rifle Association and/or by respective State Rifle Association;

(e) "**Aspiring Shooter**" means a person who has taken part in at least one State Championship (held once a year) or in the Zonal Championship or National Level Shooting Competition recognised by National Rifle Association and/or by respective State Rifle Association and attained the Minimum Qualifying Score specified by the National Rifle Association of India.

3. **Certifying bodies:-**

(a) the certifying body for the persons specified at serial number (1) of the Schedule shall be the Government of India in the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports. The certificate shall state that the award was conferred for excellence as a shooter;

(b) the certifying body for the persons specified at serial number (2) of the Schedule shall be the National Rifle Association of India (NRAI). The certificate shall state that the Medal has been won by the International Medalists in the International Championships and in case of Renowned Shooters the Merit Certificate shall mention the Qualifying Score along with the Minimum Qualifying Score (MQS) for the event as specified by NRAI;

(c) the certifying bodies for the persons specified at serial numbers 3 and 4 of the Schedule shall be the National Rifle Association of India or the approved or affiliated State Rifle Association(s) of NRAI. The Certificate issued shall mention the Qualifying Score along with the Minimum Qualifying Score for the event as specified by NRAI or the State Rifle Association;

(d) the certifying body for the entities mentioned at serial number 5 of the Schedule shall be as under:–

| **Entity** | **Certifying Body** |
|---|---|
| Shooting Clubs / District Rifle Associations affiliated with State Rifle Associations or National Rifle Association of India | State Rifle Association or National Rifle Association of India |
| State Rifle Association | National Rifle Association |
| National Rifle Association | Ministry of Youth Affairs and Sports |
| Shooting Ranges | Sports Authority of India / Sports Authority of the State Government / National Rifle Association of India |

4. **Other conditions of exemption:-**

The exemption hereby granted under this notification shall further be subject to the following conditions, namely:-

(a) The Junior Target Shooter claiming exemption under the notification has completed the age of twelve years;

(b) Area Validity of the licenses issued to the persons mentioned at serial numbers 1 to 4 of the Schedule will be for All India and the issuing licensing authority shall be authorised to grant the same without referring it to the Central or the State Government for approval;

(c) For exemptees at serial number 1 and serial number 2 of the Schedule, a weapon with spare or conversion barrels is to be treated as one weapon only at the time of endorsement on the licence and full details of the said weapon and such spare or conversion barrel shall be endorsed on the respective Arms Licence.

5. **Publication of details of eligible exemptees:-**

The database in respect of all eligible exemptees shall be put on the website of the Ministry of Youth Affairs and Sports and/or that of the National Rifle Association of India for the purpose of cross verification by any licensing authority.

**SCHEDULE**

**Exemptions related to possession of Arms**

| **Sr. No.** | **Persons or class of persons** | **Categories/descriptions of arms** | **Conditions** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Arjuna Awardee | General exemption on the number of arms to be possessed provided that the Arjuna Award is conferred in shooting. | The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification. |
| 2. | International Medalist / Renowned Shooter | (i) Rifles in caliber .22 Long Rifle (also known as .22 LR);<br>(ii) Center fire Rifles with calibers up to 8 mm including all calibers lower than 8 mm;<br>(iii) Pistols/Revolvers of caliber up to and including 9 mm but excluding 9 mm parabellum(9X19 mm);<br>(iv) Shotguns of caliber up to 12 bore/guage including all calibers lower than 12 bore/gauge. | (i) The total number of weapons exempted shall not exceed twelve in addition to the number of weapons he is entitled to possess as a normal citizen as per the provisions of the Act, subject to an overall ceiling of fourteen weapons;<br>(ii) The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification.<br>**Note:**<br>(a) if a shooter is renowned in one event only, the maximum number of weapons he can possess shall be ten (i.e. eight in the exempted category plus two weapons which he can possess as a normal citizen under sub-section 2 of section 3 of the Act);<br>(b) if a shooter is renowned in two events, the maximum number of weapons he can possess shall be twelve (i.e. ten in the exempted category plus two weapons which he can possess as a normal citizen under sub-section 2 of section 3 of the Act);<br>(c) if a shooter is renowned in more than two events, the maximum number of weapons he can possess shall be fourteen (i.e. twelve in the exempted category plus two weapons which he can possess as a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | normal citizen under sub-section 2 of section 3 of the Act). |
| 3. | Junior Target Shooter | Type of arms used in the event in which the person is a Junior Target Shooter. | (i) The exemption is restricted to two weapons of any category in which the person is a Junior target shooter;<br>(ii) The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification. |
| 4. | Aspiring Shooter | Type of arms used in the event in which the person is an Aspiring Shooter. | (i) The exemption is restricted to two weapons of any category in which the person is an Aspiring Shooter;<br>(ii) The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification. |
| 5. | National Rifle Association of India (NRAI) / Affiliated State Rifle Association(s) with NRAI / District Rifle Association(s) affiliated with State Rifle Association(s) / All Shooting Clubs affiliated with the State Rifle Association or NRAI / All Shooting Ranges under the Sports Authority of India or the Sports Authority of the State Governments. | (i) Rifles in calibre .22 Long Rifle (also known as .22 LR);<br>(ii) Center fire Rifles with calibers up to 8 mm including all calibers lower than 8 mm;<br>(iii) Pistols/Revolvers of caliber up to and including 9 mm but excluding 9 mm parabellum (9x19 mm);<br>(iv) Shotguns of caliber up to 12 bore/gauge including all calibers lower than 12 bore/gauge. | (i) No upper limit on the number of Arms, subject to the discretion of the licensing authority based on the recommendations of the certifying body;<br>(ii) The entity must hold a certificate issued by the appropriate certifying body referred to in paragraph 3 of this notification. |

[F. No. V-11026/133/2019-Arms]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.12 19:17:52 +05'30'